(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आदिवासियों को लघु और सीमांत कृषकों के लिए बनायी गई विशेष योजनाओं के लाभ दिलाने हेतु उनके लिए उपरोक्त सीमा को बढ़ाएगी;

(ग) क्या सरकार अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को इन योजनाओं के लाभ पहुंचाने के लिए ऐसी भूमि को, जो कोई भी फसल उगाने के लिये अनुपयुक्त है, ध्यान में न रखने का विचार रखती है; और

(घ) कृषि मंत्रालय द्वारा लघु और सीमांत कृषकों के लाभ के लिये आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं के कुल लाभ भोगियों में आदिवासी लाभ-भोगियों का प्रतिशत कितना है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) से (ग) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमान्त कृषकों की सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत आदिवासी छोटे तथा सीमान्त कृषकों को 50 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है, जबकि अन्य छोटे तथा सीमान्त कृषकों को क्रमशः 25 प्रतिशत और 33-1/3 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है। इस श्रेणी से संबंधित आदिवासी कृषकों सहित छोटे तथा सीमान्त कृषकों की जोतों के बड़े आकार को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तथापि सभी श्रेणियों के आदिवासी कृषकों के लाभ के लिए आदिवासी क्षेत्रों में मक्का की सघन खेती के प्रदर्शन की एक विशेष योजना है।

(घ) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमान्त कृषकों की सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों पर अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के कृषकों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किए जाने पर जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय परिस्थितियों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के समुदायों के सामने आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना, तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रम और मिनिकिट प्रदर्शन कार्यक्रम जैसी योजनाओं में एक विशेष घटक रखा गया है।

2260. [*Transferred to the 22nd* August 1988].

Minerals in Cuddupah District of Andhra Pradesh

2261. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are valuable minerals in large quantities including uranium in Cuddupah district of Andhra Pradesh;

(b) if so, what are those minerals; and

(c) what are the proposals to dig out those minerals?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR): (a) and (b) Yes Sir. A number of valuable minerals occur in large quantities in Cuddupah district i.e. Barytes: 74 Million Tonnes of all grades; Limestone: 4000 Million Tonnes of all grades; Base Metals: 2.88 Million Tonnes; Clay: 58 Million Tonnes; and Asbestos: 17000 Tonnes. Besides the above, Dolomite, Calcite, Ochre and small quantities of Phosphorite are also available. Uranium occurrences are also reported.

(c) Limestone, Barytes, Asbestos, Clay deposits, dolomite, Calcite and Ochre are being mined both by Private and Public Sectors.

Shifting of Electrical Service Centre For Multi-storeyed Flats on Peshwa Road

2262. SHRI JERLIE E. TARIANG: Will the Minister of URBAN DEVE-

LOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Electrical Service Centre catering to the needs and requirements of the multi-storeyed flats on Peshwa Road is at present situated at 6, Joffree Square which is already under orders of demolition;

(b) whether any representation has been received from the Residents' Welfare Association of the multi-storeyed flats requesting for shifting of the electrical enquiry to Sector D or to any other convenient place; and

(c) if so, what action has been taken thereon and by when the electrical enquiry is likely to be shifted to more centrally located area?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes.

(b) and (c) Irrespective of any representation from the Residents' Welfare Association, the Electrical Enquiry will be shifted as soon as an alternative accommodation becomes available, because the existing premises are proposed to be demolished.

सूखे से नष्ट फसल के लिए बीमा

2263. **श्री शरद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा के उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने पिछले वर्ष सूखे के दौरान अपनी फसल का बीमा करा लिया था ;

(ख) उपर्युक्त राज्यों के उन व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिनकी फसल नष्ट हो गई थी;

(ग) क्या ऐसे सभी व्यक्तियों के दावों का भुगतान फसल बीमा योजना के अधीन कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष व्यक्तियों को यथाशीघ्र भुगतान करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) खरीफ, 1987 मौसम के दौरान बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए किसानों की संख्या, और उन किसानों की संख्या, जिनकी फसलें खराब हो गई हैं, के संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(आंकड़े लाख में)

	बीमा योजना में शामिल किए गए किसानों की संख्या	उन किसानों की संख्या, जिनकी फसले खराब हो गई हैं
उत्तर प्रदेश	6.01	0.82
मध्य प्रदेश	4.85	1.59
बिहार	1.54	0.61

पंजाब हरियाणा और राजस्थान राज्यों ने इस योजना को लागू नहीं किया।

(ग) से (ङ) खरीफ, 1987 मौसम के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के संबंध में सभी वैध दावों का निपटान कर दिया गया है।

जहां तक मध्य प्रदेश के संबंध में क्षतिपूर्ति दावों का संबंध है, सरकार ने दावों को शीघ्रता से निपटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

Inadequate Parking Facilities in Delhi

2264. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH:
SHRI DHULESHWAR MEENA:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that sufficient parking space has not been pro-